GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE

LOK SABHA
UN-STARRED QUESTION NO: 1496
TO BE ANSWERED ON FRIDAY, THE 4TH MARCH, 2016
14, PHALGUNA, 1937 (SAKA)

TAX REBATES FOR SINGLE MARRIED WOMEN

1496. SHRI PRAHLAD SINGH PATEL:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Government considers to give tax rebates for single married women with children in the country;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the other steps taken/being taken to help single married women in the country?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI JAYANT SINHA)

(a) to (c) It has been proposed in the Finance Bill 2016 to increase the amount of rebate under section 87A of Income Tax Act,1961 from Rs.2000 to Rs. 5000,for all individuals including single married women with children, having income upto rupees five lakhs.

It is also proposed to increase deduction on account of rent paid under section 80GG from Rs 2000 per month to Rs 5000 per month for all individuals not getting house rent allowance from their employer, which is going to benefit single married women also.

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1496

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 मार्च, 2016/ 14 फाल्गुन, 1937 (शक) को दिया जाना है)

एकल विवाहित महिलाओं के लिए कर में छूट

1496. श्री प्रहलाद सिंह पटेल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में बच्चों के साथ रहने वाली एकल विवाहित महिलाओं को कर में छूट देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में एकल विवाहित महिलाओं की मदद के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए है/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

(क) से (ग) : वित्त विधेयक 2016 में यह प्रस्ताव किया गया है कि बच्चों के साथ रहने वाली एकल विवाहित महिलाओं सहित सभी व्यष्टियों जिनकी आय पांच लाख रूपये तक है, के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 87 क के अन्तर्गत छूट की राशि को 2000/- रूपये से बढ़ाकर 5000 रूपये कर दिया जाए।

यह भी प्रस्ताव है कि सभी व्यष्टि जिन्हें अपने नियोक्ता से मकान-किराया भत्ता नहीं मिलता है, के संबंध में धारा 80 जी.जी. के अन्तर्गत अदा किए गए किराए के संबंध में कटौती को बढ़ाकर 2000 रूपये प्रति माह से 5000/- रूपये प्रति माह कर दिया जाए तथा इससे एकल विवाहित महिलायों को भी लाभ पहुंचेगा।

******